

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10422/2910

दिनांक :- 26.2.19.

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री त्रिलोक चंद लवानिया [लिंक न. 10422] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेश क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर - [17998] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/06/2013 से 19/07/2018 तक 25 दिवस

कुल 25 दिवस

उक्त कुल 25 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री त्रिलोक चंद लवानिया की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

m h.
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10422/2910

दिनांक :- 26.2.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर
2. कोषाधिकारी भरतपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री त्रिलोक चंद लवानिया [10422] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

L
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)